भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4198

उत्तर देने की तारीखः 22.03.2021

स्नातक प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा

†4198 श्री डी. के. सुरेश:

श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश हेतु एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवहार्यता की संभावना का पता लगा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रख्यात शिक्षाविदों और विशेषज्ञों से विचार मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्वविद्यालयों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य प्रवेश परीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी बुनियादी तथ्यों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए विभिन्न विषयों हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा की परिकल्पना की गई है जिससे छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर भार कम किया जा सके। तदनुसार, इस मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुरोध किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा को लागू करने के लिए पुराने और नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाए। तदनुसार, यूजीसी ने एक समिति का गठन किया है जिसमें पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू के कुलपति एवं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक और यूजीसी के संयुक्त सचिव शामिल हैं।

*****